

आईडीबीआई बैंक लि.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2022)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र और पूंजी पर्याप्तता

प्रयोज्यता का क्षेत्र

लेखांकन और विनियामक समेकन

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर लेखांकन मानक (एएस) 21, समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक संस्थाओं का समेकन करता है. सहयोगी संस्थाओं में निवेशों को एएस-23, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन” के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध किया जाता है.

समेकित विवेकपूर्ण विनियामक रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक, बीमा कारोबार और किसी गैर-वित्तीय गतिविधियों में शामिल समूह कंपनियों को छोड़कर अपने नियंत्रणाधीन सभी समूह संस्थाओं को शामिल करता है. लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकित स्थिति के साथ बैंक की सहायक और सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है: आईडीबीआई बैंक लि.

(i) गुणात्मक प्रकटन

क. समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें
-----------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	--	---

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सेर्विसेज़ लि./ भारत	हाँ	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	हाँ	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत	हाँ	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	हाँ	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि./ भारत	हाँ	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है.
आईडीबीआई इंटेक लि./ भारत	हाँ	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आईडीबीआई इंटेक लि. गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है.

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि./ भारत	हाँ	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है.
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत	हाँ	एस-27 के अनुसार समेकित, संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग.	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा कारोबार में रत होने के कारण विनियामक रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार शामिल नहीं किया गया है.
बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड	हाँ	एस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन”.	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें
नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड	हाँ	एस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन”.	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड	हाँ	एस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन”.	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

* एनए - लागू नहीं

ख. समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची:

समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो.

(ii) संख्यात्मक प्रकटन:

ग. विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची:

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है.)	संस्था का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि./ भारत	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेन्ट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं.	₹. 128.10	₹. 375.52
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत	एमएफ़ योजनाओं के तहत जुटाई गई निधियों के निवेशों का प्रबंध करता है.	₹. 200.00	₹. 125.51

घ. सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की संकलित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया हो:

किसी सहायक संस्था में ऐसी कोई पूंजीगत कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है.

ड. बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की संकलित राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जोकि जोखिम-धारित है:

(राशि ₹ करोड़ में)

बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश	संस्था का मूल कार्यकलाप	कुल तुलन-पत्र इक्विटी संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
------------------------------	-------------------------	--	---	---

बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश	संस्था का मूल कार्यकलाप	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	जीवन बीमा कारोबार	रु. 800	25%	शून्य

च. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है.

तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित हानि जोखिमों के प्रति कुशन के रूप में तथा अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है और उसका प्रबंध करता है. बैंक की भावी पूंजी अपेक्षाओं को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, नकदी स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के रुख के बारे में राय तय की जाती है. इसके अलावा, तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है. साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स पर भी विचार किया जाता है. दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है. बासेल III मानदंडों का मुख्य ध्यान टीयर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर है. यथा 31 मार्च 2021 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

सीआरएआर	बासेल III
सीईटी 1	16.68%

टीयर 1	16.68%
टीयर 2	02.38%
सीआरएआर	19.06%

जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

वर्तमान व भावी जोखिमों, जो पिलर-I की मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाती है, की पहचान, मात्रा - निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है। इस नीति में ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से आईसीएएपी अभ्यास किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बैंक की समेकित दबाव परीक्षण नीति भी है जिसमें विनियामक दबाव स्थितियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूंजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी दबाव परिदृश्य के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दबाव परीक्षण अभ्यास तिमाही आधार पर किए जाते हैं जिसमें दबाव परीक्षण पर रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 दिसंबर 2013 के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है। बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर दबाव परिदृश्य के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। दबाव परीक्षण रूपरेखा के अंतर्गत बैंक की पूंजी स्थिति और लाभप्रदता पर सकल एनपीए में और अधिक बढ़ोतरी, एनपीए की एनएफबी संबंधी सुविधाओं के क्रिस्टलीकरण और तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाले गए खातों एवं अतरल प्रतिभूतियों के प्रभाव को समझने के लिए परिदृश्य विश्लेषण शामिल है। विलोम दबाव परीक्षण प्रणाली का उपयोग दबाव के उस स्तर को जानने के लिए किया जाता है जो पूंजी को प्रभावित कर इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर ले जाए। इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

पूंजी अपेक्षा	
ऋण जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	14,144.20
प्रतिभूतिकरण	0.00
बाजार जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	972.03
<i>ब्याज दर जोखिम</i>	450.73
<i>विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)</i>	36.00
<i>इक्विटी जोखिम</i>	485.18
<i>डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प)</i>	0.11

परिचालन जोखिम पूंजी :	
मूल संकेतक दृष्टिकोण	1,615.97
सीसीबी को छोड़ कर कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी	16,732.19
सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात :	
सीईटी 1	16.85%
टीयर 1	16.85%
टीयर 2	02.36%
कुल (टीयर 1 + टीयर 2)	19.21%

तालिका डीएफ-3क: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन:

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी देयताओं के दायित्वों को पूरा न करने अथवा उसकी चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है. ऐसी

किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के ज़रिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है। यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग संबंध तथा सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों के लिए बाध्यकारी हैं। बैंक की ऋण नीति ऋण एक्सपोजरों के परिमाण, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है। यह नीति कंपनियों, कारोबार समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है। यह नीति मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं। यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है। ऋण नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या उसके प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है। यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर, संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजरों, उद्योग एक्सपोजर और अप्रतिभूत एक्सपोजर के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किए हैं। नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, रियल एस्टेट, पूंजी बाजार, पण्य,

रत्न और आभूषण तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है। इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं।

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियां हैं। नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक शुद्ध लेखा पद्धति का पालन करते हुए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत एक्सपोजर की गणना भी करता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया :

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है। बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है। बैंक ने आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है, जोकि रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है। उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके। एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है। खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है।

ऋण पोर्टफोलियो निगरानी :

आंतरिक और विनियामक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अनुचित संकेंद्रण (उधारकर्ता या उद्योग) से बचने के लिए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इसे उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर सूचित किया जाता है। इसके अलावा, आस्ति पोर्टफोलियो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दो आयामी रणनीति अर्थात् घटना की रोकथाम और एनपीए का समाधान/ वसूली, अपनाई है। इस संबंध में बैंक की एनपीए नीति है जिसमें

गहन निगरानी, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और उचित सक्रिय सुधारात्मक कार्रवाई योजना द्वारा मौजूदा मानक आस्तियों की गिरावट की रोकथाम और एनपीए की वसूली/ समाधान के लिए दिशानिर्देश तय किए गए हैं. बैंक ने महामारी से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए अपने कर्जदारों को कोविड राहत पैकेज के तहत दी जाने वाली नियामक छूट का विस्तार किया है.

अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं :

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में करता है. अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जहां मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिन से अतिदेय हो और खाता ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी /सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है. यदि खाते में बकाया राशि 90 दिनों के लिए मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है. अन्य एनपीए निम्नानुसार हैं:

- क्रय किए गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हो,
- अल्पावधि कृषि ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो,
- दीर्घावधि कृषि ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी एक फसल मौसम से अतिदेय हो,
- भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 के अनुसार प्रतिभूतिकृत लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है,
- डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य, यदि ये भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत्त रहते हैं.

- ब्याज भुगतान के मामले में, बैंकों को कसी खाते के एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, यदि किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित किया गया ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से सेवाकृत नहीं हैं

एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो। किसी आस्ति को संदिग्ध तब माना जाता है, जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह से अधिक अवधि से हो। हानि आस्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो।

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है।

ख और ग. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर एवं एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
देशी	1,84,560.83	86,122.79	2,70,683.62
विदेशी	6,201.33	0.00	6,201.33
कुल सकल ऋण एक्सपोजर*	1,90,762.15	86,122.79	2,76,884.94

* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल हैं

घ. सकल ऋण एक्सपोजर का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण : निधि आधारित व गैर-निधि आधारित:

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्योग	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण एक्सपोजर*
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	25,184.36	216.82	25,401.18
परिवहन परिचालक	572.30	84.76	657.06
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	371.10	417.74	788.84
पर्यटन, होटल और रेस्तराँ,	975.24	29.29	1,004.53
शिपिंग	64.56	142.63	207.18
पेशेवर सेवाएं	1,710.22	357.88	2,068.09
व्यापार	14,979.04	1,482.46	16,461.50
वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा	1,122.36	448.62	1,570.98
एनबीएफसी	6,295.61	1,247.74	7,543.35
अन्य सेवाएँ	3,316.58	3,740.69	7,057.26
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	53,493.37	6.17	53,499.53
उपभोक्ता वस्तुएं	16.24	0.20	16.44
क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियाँ	263.10	1.81	264.91
वाहन / ऑटो ऋण	1,617.99	24.22	1,642.20
शिक्षा ऋण	1,427.10	0.18	1,427.28
सावधि जमाराशियों (एफसीएनआर (बी) आदि सहित) पर अग्रिम	2.37	0.00	2.37
अन्य खुदरा ऋण	3,798.46	96.88	3,895.34
खनन और उत्खनन	6,101.44	1,109.50	7,210.94
खाद्य प्रसंस्करण	3,572.33	479.73	4,052.07
पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	226.11	42.12	268.24

उद्योग	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण एक्सपोजर*
वस्त्र	3,615.22	885.49	4,500.72
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	102.96	4.62	107.58
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	63.20	43.35	106.55
कागज और कागज उत्पाद	922.20	601.63	1,523.84
पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर- खनन) और नाभिकीय ईंधन	2,308.79	2,923.67	5,232.46
रसायन और रसायन उत्पाद (डाई, पेंट आदि)	6,582.07	4,103.83	10,685.90
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1,156.49	473.76	1,630.25
काँच और काँच के बर्तन	37.80	3.80	41.60
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1,662.87	1,183.31	2,846.18
मूल धातु और धातु उत्पाद	5,697.52	9,637.13	15,334.66
सभी इंजीनियरिंग	6,866.23	9,657.48	16,523.71
वाहन, वाहन पुर्जे और यातायात उपकरण	837.18	1,380.12	2,217.30
रत्न एवं आभूषण	1,882.12	36.26	1,918.39
निर्माण	4,149.19	1,277.77	5,426.96
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिम के साथ मिलान करने के लिए)	3,975.94	13,581.37	17,557.30
इन्फ्रास्ट्रक्चर	25,227.71	30,267.75	55,495.46
अन्य उद्योग	564.76	132.03	696.78
कुल	1,90,762.15	86,122.79	2,76,884.94

* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल नहीं हैं

सकल ऋण एक्सपोजर में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग *

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल	%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	25,227.71	30,267.75	55,495.46	20.04%
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	53,493.37	6.17	53,499.53	19.32%
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	25,184.36	216.82	25,401.18	9.17%
सभी इंजीनियरिंग	6,866.23	9,657.48	16,523.71	5.97%
व्यापार	14,979.04	1,482.46	16,461.50	5.95%
मूल धातु और धातु उत्पाद	5,697.52	9,637.13	15,334.66	5.54%

* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल नहीं हैं

ड. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण:

(राशि ₹. करोड़ में)

परिपक्वता अवधि	31 मार्च 2022 को आस्तियां				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष	निवेश	अग्रिम	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां
1 दिन	5,608.86	14,920.07	1,254.07	7.37	21,790.36
2 से 7 दिन	5,658.55	9,829.90	1,342.92	263.10	17,094.47
8 से 14 दिन	741.95	1,218.05	1,704.04	105.21	3,769.26
15 से 30 दिन	959.06	1,144.79	10,036.93	2,434.03	14,574.81
31 दिन से 2 माह तक	3,769.08	1,558.66	2,164.16	949.83	8,441.74
2 माह से अधिक व 3 माह तक	1,740.61	1,848.27	3,127.08	54.23	6,770.19
3 माह से अधिक व 6 माह तक	1,250.00	3,855.12	6,452.24	982.18	12,539.54
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1,477.61	7,818.19	9,659.99	2,237.06	21,192.84
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	5,065.16	24,186.19	44,999.93	3,284.23	77,535.50
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	285.87	4,418.54	11,703.69	22,314.67	38,722.78
5 वर्ष से अधिक	153.84	12,190.42	53,326.79	13,316.83	78,987.88

परिपक्वता अवधि	31 मार्च 2022 को आस्तियां				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष	निवेश	अग्रिम	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां
कुल	26,710.59	82,988.21	1,45,771.84	45,948.73	3,01,419.36

च, छ एवं ज. अनर्जक आस्तियां (सकल) एवं निवल अनर्जक आस्तियां तथा अनर्जक आस्तियों का अनुपात :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	
कुल अग्रिम	1,78,206.55
निवल अग्रिम	1,45,771.84
यथा 31 मार्च 2022 को सकल अनर्जक आस्तियां	
क. अवमानक	1,166.77
ख. संदिग्ध 1	1,435.49
ग. संदिग्ध 2	3,183.91
घ. संदिग्ध 3	5,783.06
ड. हानि	22,545.60
कुल	34,114.83
एनपीए प्रावधान *	32,258.67
निवल एनपीए	1,856.16
एनपीए अनुपात	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	19.14%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.27%

* एनपीए, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी पर एनपीवी हानि सहित.

झ. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण (सकल एनपीए)	यथा 31 मार्च 2022 को
1 जनवरी 2022 को आरंभिक शेष	34,405.37
परिवर्धन	907.44
बढ़े खाते	159.91
कटौतियां	1,038.07
अंतिम शेष	34,114.83

ञ. क) विशिष्ट एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2022 को
	विशिष्ट प्रावधान *
1 जनवरी 2022 को आरंभिक शेष	32,116.10
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	762.75
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित	0.00
घटाएं: बढ़े खाते डाली गई राशि	159.91
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	460.26
अंतिम शेष	32,258.67

*: एनपीए, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी पर एनपीवी हानि सहित.

ख) सामान्य एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2022 को
	सामान्य प्रावधान

1 जनवरी 2022 को आरंभिक शेष	1,298.96
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	88.35
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित	0
घटाएं: बड़े खाते डाली गई राशि	0
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	
अंतिम शेष	1,387.31

बड़े खाते डाली गई और वसूलियाँ जो सीधे आय विवरण में दर्ज की गई हैं, 31 मार्च 2022 तिमाही के लिए ₹ 68.86 करोड़ हैं.

ट. एवं ठ. यथा 31 मार्च 2021 को अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2022 को
अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की राशि	1,495.10
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	1,441.35

ड. निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का घट-बढ़ (तिमाही दर तिमाही आधार पर)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021 को
1 जनवरी 2022 को आरंभिक शेष	5,387.71
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1,140.65
अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते डालना/ पुनरांकन	33.04
अंतिम शेष	6,495.33

ढ. प्रमुख उद्योगवार एनपीए, विशिष्ट प्रावधान एवं बढ़े खाते *

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2022 को		मौजूदा अवधि के दौरान	
	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	बढ़े खाते डाले गए
शीर्ष 5 उद्योगों में एनपीए और किए गए विशिष्ट प्रावधान	20,304.12	20,199.64	शून्य	756.94

* उद्योगों में सकल ऋण एक्सपोजर के आधार पर चिह्नित उद्योग.

ण. क) एनपीए एवं विशिष्ट प्रावधान विश्लेषण की भौगोलिक स्थिति :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2022 को		
	देशी	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	30,199.80	3,915.03	34,114.83
एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान	28,343.65	3,915.03	32,258.67

ख) सामान्य प्रावधान विश्लेषण की भौगोलिक स्थिति :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2022 को		
	देशी	विदेशी	कुल
सामान्य प्रावधान	1,377.97	9.35	1,387.31

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

बैंक पूंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है। बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्क, एसीयूईटीआईई, इंफोमेरिक्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज़ तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें। प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में एवं तुलन-पत्र से इतर सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं रेटिंग्स पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हैं।

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है। बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है।

किसी कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। ऐसे मामले, जहाँ दो रेटिंग हैं, अलग-अलग जोखिम भार को आकर्षित करते हुए, उच्च जोखिम भार लागू किया जाता है। तीन या अधिक रेटिंग के मामले में द्वितीय निम्नतर रेटिंग भार लागू किया जाता है। 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम-भार	निवल एक्सपोजर
100% से कम	
100% पर	
100% से अधिक	
पूँजी से कटौती	
कुल	302,092.52

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोणों का प्रकटन

संपार्श्विक प्रतिभूति, उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को प्रतिभूत करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक आस्ति या अधिकार है। ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जो संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों को कवर करती है। इसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं। तुलन-पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहां बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है। यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है और निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है। बैंक के ऋण एक्सपोजरों की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है। उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है। बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियां, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न कर्ज प्रतिभूतियां शामिल हैं। गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, स्टॉक, आदि शामिल हैं। तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए

संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी और ऑटो ऋण के लिए यह वाहन होगी. अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां, जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं.

बैंक अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है. तथापि, केवल उन्हीं गारंटियों पर विचार किया जाता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा बिना शर्त होती हैं. संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक डीलरों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है. बैंक अपने सामने आनेवाले ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को दिए गए बैंक के ऋण एक्सपोजर को कम करने के लिए तैयार किया गया है. प्रतिपक्षी के ऋण एक्सपोजर को उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है. मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें एक्सपोजरों और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होनी वाली अस्थिरता भी शामिल है. पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूंजी बचत का लाभ उठाने के लिए एक्सपोजर की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है. एक्सपोजर का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल एक्सपोजर	14,967.22	10,240.38

पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद एक्सपोजर	2,072.30	6,456.51
--	----------	----------

* गैर-बाजार संबद्ध

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को एक्सपोजर की राशि ₹ 8,574.14 करोड़ थी.

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन	
गुणात्मक प्रकटन	
क. बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :	
<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य उस सीमा सहित जहां तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. 	<p>बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. अतः ऋण जोखिम का अंतरण लागू नहीं है.</p> <p>तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने और बेहतर प्रतिफल के उद्देश्य से बैंक ने अतीत में पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/ एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किया है.</p>
<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप 	<p>लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है.</p> <p>पीटीसी में निवेश के मामले में अंतिम उधारकर्ताओं से वसूली गई राशि से चुकौती की जाती है. साथ ही, रेटिंग पर आधारित रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किए अनुसार ऋण वृद्धि भी उपलब्ध है. यदि समूह में हानि का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है, तो हानि को बैंक द्वारा वहन की जाती है.</p>

<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का उल्लेख ; 	<p>बैंक ने प्रतिभूतिकरण लेनदेनों में निवेशक की भूमिका निभाई है। बैंक ने पिछले वित्त वर्ष 2022 के दौरान प्रतिभूतिकरण के लिए ऋण वर्धन या चलनिधि सुविधा प्रदान नहीं की है। यथा 31 मार्च 2022 तक उपर्युक्त श्रेणी में एक्सपोजर निम्नलिखित हैं :</p> <p style="text-align: right;">(राशि रु. करोड़ में)</p>			
	क्र.सं.	अदा की गई भूमिका	लेनदेनों की संख्या	अंतर्निहित राशि
	1	निवेशक (बकाया)	9	351.84
	2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा/ चलनिधि सुविधा)	शून्य	शून्य
<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण 	<p>बैंक ऋण नीति के अनुसार वसूली निष्पादन, चुकौती तथा समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि का उपयोग, मार्क-टु-मार्केट, प्रतिभूतिकरण के निवेशित पोर्टफोलियो में पूल की समुचित सावधानी और समीक्षा रेटिंग की आवधिक निगरानी करता है।</p>			
<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के अंतर्गत प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण. 	<p>बैंक रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 मई 2012, 21 अगस्त 2012, 24 सितंबर 2021 के परिपत्र में वर्णित अनुसार प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में निवेशों पर रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों और बैंक की मौजूदा ऋण नीति एवं निवेश नीति का अनुपालन करता है। बैंक आस्तियों के पूल में संग्रहण/ पुनर्भुगतान पर पहले अधिकार के साथ वरिष्ठ किश्त में निवेश करता है और साथ ही अतिरिक्त ब्याज स्प्रेड पर भी प्रथम अधिकार प्रदान करता है। बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत आस्तियां अर्जित करता है।</p>			

ख)	<p>प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :</p>		
<ul style="list-style-type: none"> लेनदेनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण. 	<p>बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. तथापि इसने अतीत में एनबीएफसी/एमएफआई से लेनदारियों के अर्जन के माध्यम से निवेश किया है जिसे बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है.</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) 	<p>प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में बैंक के निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उक्त का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक/ एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.</p>
<ul style="list-style-type: none"> गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव 	<p>कोई परिवर्तन नहीं</p>	<ul style="list-style-type: none"> उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन-पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. 	<p>बैंक के पास आज की तारीख में कोई प्रत्यक्ष प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर नहीं है. तथापि, अन्य बैंकों द्वारा किए गए पीटीसी लेनदेनों के लिए ऋण संवर्धन के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक गारंटी (बीजी) को बैंक की बही में आकस्मिक देयताओं के रूप शामिल किया जाएगा और तदनुसार लेखांकन कार्रवाई की जाएगी.</p>
ग)	<p>बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है.</p>	<p>31 मार्च, 2022 को प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को बैंक की बही में निवेश के रूप में माना जाता है और अधिगृहीत पूल को क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और ब्रिकवर्क द्वारा बाहरी रूप से रेटिंग की जाती है. पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) मार्ग के माध्यम से ऋण पोर्टफोलियो को सुरक्षित किया गया.</p>	
<p>बैंकिंग बूक में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :</p>			
घ)	<p>बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि</p>	<p>शून्य</p>	

ड)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के लिए, एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा अभिनिर्धारित हानि	शून्य
च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	शून्य
छ)	इनमें से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हुई आस्तियों की राशि.	लागू नहीं
ज)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार) और एक्सपोजर प्रकार के अनुसार बिक्री पर दर्शाया नहीं गया अभिलाभ या हानि.	शून्य
झ)	निम्न की कुल राशि: • एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिधारित या खंडों में खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और	शून्य
	• एक्सपोजर प्रकार द्वारा तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर.	शून्य
ञ)	• प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, एक्सपोजरों में विभक्त और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण	शून्य

	के लिए अलग-अलग जोखिम भार बैंड में विभाजित.	
	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर. 	शून्य
ट्रेडिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं:		
ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं.	बैंक द्वारा किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया गया है.
ठ)	<p>निम्न की कुल राशि:</p> <ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिधारित या खंडों में खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, और 	<p>बैंक ने 31 मार्च 2022 को चालू वित्तीय वर्ष में पास-थ्रू-सर्टिफिकेटों (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/एमएफआई/एचएफसी द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में रु. 156.32 करोड़ (2 पीटीसी लेनदेन) का निवेश किया.</p> <p>यथा 31 मार्च 2022 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो रु. 351.84 करोड़ था.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर प्रकार द्वारा तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. 	शून्य

<p>ड)</p>	<p>निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि:</p> <ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; तथा विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. 	<p>यथा 31 मार्च 2022 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो रु. 351.84 करोड़ था. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में बैंक ने प्रतिभूतिकरण के माध्यम से पीएसएल पोर्टफोलियो (कुल रु. 156.32 करोड़ के 3 पीटीसी लेनदेन) में के निवेश/ क्रय किया है.</p> <p>विशिष्ट जोखिम भार दायरों के साथ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर:</p> <p style="text-align: right;">(राशि रु. करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="688 674 1408 951"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>राशि</th> <th>रेटिंग</th> <th>जोखिम भार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>139.07</td> <td>एएए</td> <td>1.80%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>156.32</td> <td>एए</td> <td>2.70%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>7.15</td> <td>ए</td> <td>4.50%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>49.30</td> <td>बी-</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>351.84</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	राशि	रेटिंग	जोखिम भार	1.	139.07	एएए	1.80%	2.	156.32	एए	2.70%	3.	7.15	ए	4.50%	4.	49.30	बी-	100.00%	कुल	351.84		
क्र. सं.	राशि	रेटिंग	जोखिम भार																							
1.	139.07	एएए	1.80%																							
2.	156.32	एए	2.70%																							
3.	7.15	ए	4.50%																							
4.	49.30	बी-	100.00%																							
कुल	351.84																									
<p>ढ)</p>	<p>निम्न की कुल राशि :</p> <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए अपेक्षित पूंजी. प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर 	<p style="text-align: right;">(राशि रु. करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="792 1050 1304 1413"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>कुल पूंजी प्रभार राशि</th> <th>रेटिंग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>8.53</td> <td>एएए</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>7.87</td> <td>एए</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>0.35</td> <td>ए</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>43.22</td> <td>बी-</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>59.97</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>शून्य</p>	क्र. सं.	कुल पूंजी प्रभार राशि	रेटिंग	1.	8.53	एएए	2.	7.87	एए	3.	0.35	ए	4.	43.22	बी-	कुल	59.97							
क्र. सं.	कुल पूंजी प्रभार राशि	रेटिंग																								
1.	8.53	एएए																								
2.	7.87	एए																								
3.	0.35	ए																								
4.	43.22	बी-																								
कुल	59.97																									

डीएफ-7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, विनिमय दरों और पण्य दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव तथा उनमें होने वाली अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम है। बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से किए जाने वाले ट्रेडिंग कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंध व्यवस्था के अभिन्न भाग के रूप में इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय एक्सपोजरों की निगरानी व प्रबंधन करता है। यह प्रणाली वित्तीय बाजारों के अप्रत्याशित स्वरूप पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों के धन पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करती है।

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति और डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुसार किए जाते हैं और ये वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं। प्रक्रिया एवं उत्पाद नवोन्मेषों के अलावा कारोबार आवश्यकताओं, आर्थिक परिवेश और कानूनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक शामिल हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके। एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाजार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है। ब्याज दरों में घट-बढ़ से बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर पड़ने वाले प्रभाव के जरिए ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण का आकलन किया जाता है। बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है जिनका प्रबंधन किया जाना हो। इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है। बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, पीवी01, संशोधित अवधि, हानि रोक, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी ऋण सहायता, दबाव परीक्षण आदि शामिल हैं।

निवेश नीति बाजार उतार-चढ़ाव और रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

बैंक अपनी बाजार जोखिम का निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:

- व्यापार बही आस्तियों, ब्याज दरों व मुद्राओं से सम्बद्ध जोखिमों का निर्धारण
- जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना
- जोखिम वहन क्षमता का मूल्यांकन तथा कारोबार के संदर्भ में उपयुक्त सीमा तय करना
- निगरानी व नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित करना
- जोखिम में कमी लाते हुए परिचालन लागत कम करना
- जोखिम स्तरों की समीक्षा करना
- जोखिम समायोजित कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी)/ मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए और अपवाद की स्थितियों, यदि कोई हों, की जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है। इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

प्रत्यायोजन: ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है। निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं। एमआरजी संबंधित नीतियों में निर्धारित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी करता है।

नियंत्रण: सिस्टम में पर्याप्त डेटा एकीकरण आधारित नियंत्रण मौजूद है। इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखा परीक्षा के लिए भी किया जाता है।

अपवाद संचालन प्रक्रिया: नीतियों के अंतर्गत तय की गई ऋण सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अपवादों को न्यूनतम रखने हेतु लागू किया जा रहा

है. ऋण सीमाओं के उल्लंघन/ अपवाद, यदि कोई हो, का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्यायोजित प्राधिकारियों से अभिपुष्ट कराया जाता है.

एमआरजी, वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समितियों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिम उपायों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार विनियामकों को भी रिपोर्टें प्रस्तुत करता है. बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स के संबंध में सीमाएं निर्धारित की जाती हैं जिनकी आवधिक आधार पर निगरानी की जाती है.

यथा 31 मार्च 2022 को बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन

(राशि ₹ करोड़ में)

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
क	कुल	972.03
i)	ब्याज दर जोखिम	450.73
ii)	इक्विटी स्थिति जोखिम	485.18
iii)	विदेशी विनिमय जोखिम	36.00
iv)	डेरिवेटिव पर (फॉरेक्स विकल्प)	0.11

तालिका डीएफ-8: परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों एवं पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है. इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना तथा इन जोखिमों की निगरानी और इन्हें कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास करना है।

बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना है और इसने परिचालनगत जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से युक्त एक समर्थकारी संगठनात्मक संरचना की स्थापना भी की है। परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों पर समीक्षा रिपोर्टें ओआरएम कक्ष द्वारा बोर्ड की ओआरएमसी और आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं।

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। बैंक ने बैंक के विभिन्न विभागों और वटिकलों में परिचालनगत जोखिमों के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए मुख्य जोखिम सूचक तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने परिचालनगत जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकन प्रणाली (कोर) की व्यवस्था की है। बैंक कोर प्रणाली के जरिए परिचालनगत हानि संबंधी आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा बासेल/रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी श्रृंखलाओं तथा हानि प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है। प्रथम स्तरीय सुरक्षा को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ-साथ परिचालनगत स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों को निरंतर जागरूक करने हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओआरएम अनुभाग परिचालनगत जोखिम हानियों तथा पूंजी और लाभ पर उसके प्रभाव के लिए दवाब जांच अभ्यास भी संचालित करता है।

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के अनुपालन हेतु बैंक के पहल कार्य

महत्वपूर्ण बैंकिंग परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने और ग्राहकों को महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार में व्यवधान/आपदा की संभावित घटना में बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करने के लिए, बैंक के पास पहले से ही एक मजबूत और आघात-सह कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) है जोकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति द्वारा

निर्देशित है। इसके अतिरिक्त, बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली को भी आईएसओ 22301 के मानकों के अनुपालन के लिए आईएसओ 22301 प्रमाणीकरण के साथ मान्यता प्राप्त है।

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) शामिल हैं। इन बीसीएम दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार व्यवधान/ आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और परिणामी सुधार रणनीतियाँ, योजनाएँ शामिल हैं। व्यवधान की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का प्रायोगिक अभ्यास, आपदा प्रबंधन अभ्यास, महत्वपूर्ण आईटी एप्लिकेशनों के लिए समग्र आपदा प्रबंधन अभ्यास और बीसीपी परीक्षण अभ्यासों के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है। प्रणाली की असफलता के जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने चेन्नई में एक आपदा प्रबंधन (डीआर) साइट तथा मुंबई के समीप भी नियर डीआर साइट की स्थापना की है। बैंक आपदा प्रबंधन साइट की क्षमता परीक्षण के लिए आवधिक रूप से आपदा प्रबंधन ड्रिल अभ्यासों का आयोजन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइ-डीएबी के माध्यम से व्यवधान संबंधी घटनाओं एवं बीसीएम कार्यकलापों की रिपोर्टिंग स्वचालित है।

बैंक ने वैकल्पिक शाखा से महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा करने में बाधा के मामले में खुदरा शाखाओं द्वारा बीसीपी को लागू करने की सुविधा के लिए आई ऑन बीसीपी नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है। आई ऑन बीसीपी तेजी से प्रोसेसिंग के लिए वैकल्पिक शाखा में वाउचर के सुरक्षित संचरण की सुविधा प्रदान करता है और विशेष रूप से पृथक शाखाओं के लिए सहायक है।

तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

आईआरआरबीबी से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है। ब्याज दर में साधारण बदलावों, विभिन्न उत्पादों/ लिखतों के बीच ब्याज दर परिवर्तन के परिमाण में भिन्नता (उदाहरण के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल, सावधि जमाओं पर ब्याज दर, अग्रिमों पर ऋण दर आदि) के अलावा यह ब्याज दर जोखिम का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ब्याज दर में परिवर्तन से बैंक की निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाने पर आनेवाली राशि) में परिवर्तन होता है जो बैंक की आमदनी पर प्रभाव डालता है, साथ ही साथ आस्ति और देयताओं के निवल आर्थिक मूल्य में परिवर्तन से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में

परिवर्तन का प्रभाव मुख्य रूप से बैंक की आस्ति और देयताओं के मध्य परिपक्वता के परिणाम व प्रकृति और पुनर्मूल्यन के अंतर पर निर्भर करता है।

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए, बैंक ने समुचित एएलएम प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति, रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया तथा सीमा संरचना शामिल है। ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम के स्रोतों की पहचान करना और उपयुक्त तरीकों के आधार पर उनके परिमाण को मापना है। इसमें समग्र ढांचे के भीतर परिपक्वता संरचना, मूल्य निर्धारण, उत्पाद और ग्राहक समूह मिश्रण के संबंध में समुचित वित्तपोषण, ऋण देना और तुलन पत्र से अलग रणनीतियां भी शामिल हैं। आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहन स्तर निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य के संभावित प्रभाव के संदर्भ में निर्दिष्ट है। बैंक की आस्ति-देयता समिति (एएलसीओ) बैंक के ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नियमित मापन, निगरानी और नियंत्रण पहलों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। जोखिम प्रबंधन विभाग (एएलएम) नियमित रूप से एएलएम अंतर को मापता है और उसकी निगरानी करता है तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए रणनीतियों पर निर्णय लेने हेतु एएलसीओ को रिपोर्ट करता है। दैनिक आधार पर प्रणाली आधारित एएलएम रिपोर्ट सृजित करने के लिए पर्याप्त सूचना भी कार्यान्वित की है।

आईआरआरबीबी के मापन और निगरानी हेतु ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्यन) अंतराल और अवधि अंतराल विश्लेषण विधि को प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें आय (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) और आर्थिक मूल्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) दोनों ही दृष्टिकोण शामिल होते हैं। ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल रिपोर्ट तैयार करने में, सभी संबंधित ब्याज दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और देयताओं को अलग-अलग अवधियों के समूह में परिपक्वता या उनके अगले शेष-मूल्य निर्धारण तिथि के आधार पर, जो भी पहले हो, शामिल है। इस रिपोर्ट हेतु कोर चालू और बचत बैंक जमाओं का समूहन, "1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक", सावधि ऋणों का पूर्व-भुगतान, सावधि जमाओं के नवीनीकरण का स्वरूप आदि वार्षिक रूप से किए जाने वाले व्यवहारपरक विश्लेषण पर आधारित होता है और एएलसीओ द्वारा अनुमोदित होता है। अवधि अंतराल विश्लेषण, अवधि और ब्याज दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और देनदारियों के भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर, किया जाता है।

आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) ब्याज दर जोखिम एकसपोजरों की नियमित निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा

बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव/ निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर आईआरआरबीबी का प्रबंधन किया जा सके.

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव - (समयावधि: 1 वर्ष)		
	परिदृश्य	प्रभाव (रु. करोड़)
जोखिम पर अर्जन (ईएआर)	100 बीपीएस तक बढ़ोतरी	598.56
	100 बीपीएस तक कमी	(598.56)
इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई)	100 बीपीएस तक बढ़ोतरी	(370.66)
	100 बीपीएस तक कमी	370.66

तालिका डीएफ -10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटन :

बैंक किसी आस्ति के संबंध में प्रतिपक्षकार के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें निधि आधारित और गैर- निधि आधारित दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है. ऋण नीति, प्रतिपक्षकार बैंक नीति, बाज़ार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति एवं देश जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जोकि प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है. विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूंजी निधि में एकल उधारकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षकार ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है. साथ ही, निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया सहायता राशियों, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक प्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है. पूंजी बाज़ार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं. वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूंजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेल III के अंतर्गत विनियमों के अनुसार की जा रही है.

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षकार की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। लागू शर्तों एवं निबंधनों के साथ ग्राहक की उपयुक्तता और अनुकूलता के संबंध में उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। बैंक में चुनिंदा प्रतिपक्षकार बैंकों के साथ एक ऋण सहायता एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है। सीएसए उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रतिपक्षों में अंतरित किया जाता है। संपार्श्विक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर ज़रूरत के समय इसकी विधिक प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है। ऋण रिज़र्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्करो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिज़र्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्तें लगाना, वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं। बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है। ऋण डेरिवेटिव हेज का कल्पित मूल्य और विभिन्न प्रकार के एक्सपोजरों के जरिए वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का विवरण:

यथा 31 मार्च 2022

(राशि ₹ करोड़ में)

डेरिवेटिव	कल्पित	वर्तमान एक्सपोजर
ब्याज दर स्वैप	9,661.52	101.09
मुद्रा स्वैप	2,312.31	440.94
मुद्रा विकल्प	368.00	4.71
वायदा	283,681.32	7,084.28
बैंक बही (डीआईएफ़सी सहित)	कल्पित	वर्तमान एक्सपोजर
ब्याज दर स्वैप	0.00	0.00
मुद्रा स्वैप	16.67	4.97

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन			₹ करोड़
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और रिज़र्व			संदर्भ सं.
1	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	61,472.15	ए=ए1 + बी2
2	प्रतिधारित उपार्जन	-43,785.29	बी6
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ)	18,890.52	बी3+बी4+बी5 + ई2
4	सीईटी 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0.00	
	आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 के रूप में अनुमत शेयर आवेदन राशि	0.00	बी7
6	विनिमायक कटौतियों से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	36,577.38	बी1
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: विनिमायक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबद्ध आस्थगित कर देयता को घटाकर)	0.00	
9	अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता को घटाकर)	146.62	एफ़
10	संचित हानियों से जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियां	4,769.86	
11	नकदी- प्रवाह बचाव हेज़ रिज़र्व	0.00	
12	प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन			₹ करोड़
सामान्य इक्विटि टियर 1 पूंजी : लिखत और रिजर्व			संदर्भ सं.
		0.00	
14	उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ	0.00	
15	सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि प्रदत्त पूंजी पहले रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में समंजित न की गई हो)	0.00	
17	सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	18.62	
	बैंकों की समायोजित सीईटी1 पूंजी के 10% तक सीईटी 1 पूंजी का डीटीए निर्धारण	3,164.23	
18	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय स्थितियों को घटाकर, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	0.00	
19	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऐसी सीईटी 1 पूंजी लिखतों में उल्लेखनीय पूंजी निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (10 % की प्रारंभिक राशि से अधिक)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	0.00	
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	8,554.42	जी
22	15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि	0.00	
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	0.00	

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन			र करोड़
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और रिजर्व			संदर्भ सं.
25	इसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	8,554.42	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	46.10	
26क	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश	46.10	
26ग	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है	0.00	
26घ	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
	अन्य विनियामकीय समायोजन (अतरल निवेश स्थिति)	29.93	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन	0.00	
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में किया गया कुल विनियामक समायोजन	10,401.32	
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	26,176.06	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत			
30	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	-	
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के		

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन			₹ करोड़
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और रिजर्व			संदर्भ सं.
	रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थाई ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत	0.00	
33	एटी1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	0.00	
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत)	-	
35	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	-	
36	विनियामक कटौतियों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	सी
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	-	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति- धारिता	0.00	
39	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-	
40	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल)	-	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	-	

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन			₹ करोड़
सामान्य इक्विटि टियर 1 पूंजी : लिखत और रिजर्व			संदर्भ सं.
41क	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	-	
41ख	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है	-	
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन	-	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किया गया कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	0.00	
45	टियर 1 पूंजी (टियर1= सीईटी1+एटी1) (29+44क)	26,176.06	
टियर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित अर्हता टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	2,285.00	डी
47	टियर 2 में से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी लिखत	0.00	डी
48	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत)	-	
49	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	-	
50	प्रावधान	1,387.31	ई1
51	विनियामक कटौतियों के पूर्व टियर 2 पूंजी	3,672.31	

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन			₹ करोड़
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और रिजर्व			संदर्भ सं.
टीयर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टीयर 2 पूंजी लिखतों में निवेश	-	
53	टीयर 2 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
54	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक)	-	
55	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल)	-	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख)	0.00	
56क	इसमें से: असमेकित सहायक कंपनियों की टीयर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है	-	
57	टीयर 2 पूंजी के लिए किया गया कुल विनियामक समायोजन	0.00	
58	टीयर 2 पूंजी (टी2)	3,672.31	
59	कुल पूंजी (कुल पूंजी = टीयर1+ टीयर2)	29,848.37	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+ 60ख+ 60ग)	155,342.97	
60क	इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	122,993.04	
60ख	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	12,150.34	
60ग	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	20,199.59	

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन			₹ करोड़
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और रिजर्व			संदर्भ सं.
पूंजीगत अनुपात और बफर			
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.85%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.85%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	19.21%	
64	संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता के साथ पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)	08.00%	
65	इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	02.00%	
66	इनमें से: बैंक आधारित प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	-	
67	इसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	-	
68	बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.35%	
राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)		
कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे की राशियां (जोखिम भारिता से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	493.75	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	1,149.67	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता को घटाकर)	लागू नहीं	

तालिका डीएफ़-11: पूंजी का संघटन			₹ करोड़
सामान्य इक्विटि टियर 1 पूंजी : लिखत और रिजर्व			संदर्भ सं.
75	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता को घटाकर)	लागू नहीं	
टीयर 2 पूंजी में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	1,387.31	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा	-	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 30 सितंबर 2017 और 30 सितंबर 2022 के बीच लागू)			
80	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक)	लागू नहीं	
82	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)	लागू नहीं	
84	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)	लागू नहीं	

टेम्पलेट के नोट

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(रु. करोड़ में)
10	संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर आस्तियां	4,769.86
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से सम्बद्ध को छोड़कर)	8,554.42
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल	13,324.28
19	यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि	
	इसमें से: अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि	
	इसमें से: अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में हुई वृद्धि	
26ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब भारत जोखिम निम्नानुसार होगा:	
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	
	(ii) जोखिम भारत आस्तियों में वृद्धि	
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान	1,387.31
	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां	3,805.10
	पंक्ति 50 का योग	5,192.42

तालिका डीएफ-12: पूंजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं

चरण 1:

(राशि ₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार
अ	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	10,752.40	10,752.40
	रिज़र्व और अधिशेष	75,220.32	74,808.60
	अल्पसंख्यक हित	128.19	0.00
	कुल पूंजी	86,100.91	85,561.01
ii	जमाराशियां	2,32,849.59	2,33,073.79
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां	17,974.43	17,974.43
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	2,14,875.15	2,15,099.36
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
iii	उधार राशियां	14,344.98	14,344.98
	इसमें से : रिज़र्व बैंक से	2,400.00	2,400.00
	इसमें से : बैंकों से	607.10	607.10
	इसमें से : अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	0.00	0.00
	इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधाराशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड	6,885.88	6,885.88
	इसमें से : पूंजीगत लिखतें	4,452.00	4,452.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	12,461.80	12,325.23
	कुल	3,45,757.27	3,45,305.01
आ	आस्तियां		

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमा राशि	13,593.91	13,593.44
	बैंकों के पास जमा शेष तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	13,206.56	13,186.94
ii	निवेश:	83,485.44	82,900.50
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	71,849.95	71,742.17
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
	इसमें से : शेयर	1,094.03	461.16
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड	5,853.24	5,809.50
	इसमें से : सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	1.50	247.60
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	4,686.72	4,640.07
iii	ऋण एवं अग्रिम	1,45,775.33	1,45,771.84
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	51.36	51.36
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	145,723.97	145,720.48
iv	अचल आस्तियां	9,987.04	9,945.01
v	अन्य आस्तियां	36,318.42	36,121.99
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	इसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	13,324.37	13,324.28
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00
vii	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष	43,390.58	43,785.29
	कुल आस्तियां	3,45,757.27	3,45,305.01

चरण 2:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र	
	रिपोर्ट करने की तारीख को	रिपोर्ट करने की तारीख को	संदर्भ सं.
अ	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	10,752.40	10,752.40
	इसमें से : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	10,752.40	10,752.40
	इसमें से : एटी1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00
	रिज़र्व और अधिशेष	75,220.32	74,808.60
	शेयर प्रीमियम	50,719.70	50,719.75
	सांविधिक रिज़र्व	3,424.43	3,424.43
	पूंजी रिज़र्व	3,489.15	3,240.38
	अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व	9,119.28	8,420.60
	लाभ-हानि लेखे में शेष राशि	0.00	0.00
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व	8,467.76	8,467.76
	इसमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	3,805.10	3,805.10
	अल्पसंख्यक हित	128.19	0.00
	कुल पूंजी	86,100.91	85,561.01
ii	जमाराशियां	2,32,849.59	2,33,073.79
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां	17,974.43	17,974.43
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	214,875.15	215,099.36
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
iii	उधार राशियां	14,344.98	14,344.98
	इसमें से : रिज़र्व बैंक से	2,400.00	2,400.00
	इसमें से : बैंकों से	607.10	607.10
	इसमें से : अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों	0.00	0.00

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र	
	रिपोर्ट करने की तारीख को	रिपोर्ट करने की तारीख को	संदर्भ सं.
से			
इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियां, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड	6,885.88	6,885.88	
इसमें से : पूंजीगत लिखतें	4,452.00	4,452.00	
इसमें से -			
क) पात्र अतिरिक्त टीयर 1	0.00	0.00	सी
ख) पात्र टीयर 2	2,285.00	2,285.00	डी
iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान	12,461.80	12,325.23	
इसमें से : मानक आस्तियों पर विवेकपूर्ण प्रावधान, आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टीयर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए	1,387.31	1,387.31	ई1
इसमें से : आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 पूंजी के रूप में अनुमत भारत सरकार एवं एलआईसी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	0.00	0.00	बी7
कुल	3,45,757.27	3,45,305.01	
आ आस्ति			
i भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	13,593.91	13,593.44	

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र		
	रिपोर्ट करने की तारीख को	रिपोर्ट करने की तारीख को	संदर्भ सं.	
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	13,206.56	13,186.94	
ii	निवेश	83,485.44	82,900.50	
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	71,849.95	71,742.17	
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	
	इसमें से : शेयर	1,094.03	461.16	
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड	5,853.24	5,809.50	
	इसमें से : सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	1.50	247.60	
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि)	4,686.72	4,640.07	
iii	ऋण एवं अग्रिम	145,775.33	145,771.84	
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	51.36	51.36	
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	145,723.97	145,720.48	
iv	अचल आस्तियां	9,987.04	9,945.01	
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां	151.64	146.62	एफ
v	अन्य आस्तियां	36,318.42	36,121.99	
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	इसमें से :	0.00	0.00	
	साख	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर)	0.00	0.00	
	इसमें से आस्थगित कर आस्तियां	3,164.23	3,164.23	जी
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00	
vii	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष	43,390.58	43,785.29	बी6

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र	
		रिपोर्ट करने की तारीख को	रिपोर्ट करने की तारीख को	संदर्भ सं.
	कुल आस्तियां	3,45,757.27	3,45,305.01	

*इसमें 2.28 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित राशि शामिल है, जो एक मुक्त आरक्षित नहीं है.

चरण 3:-

(राशि ₹ करोड़ में)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ़-11 (भाग I / भाग II जो भी लागू हो)			
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	स्रोत, चरण 2 से समेकित विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र की संदर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित है
1	सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	10,752.40	ए1
2	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष	43,785.29	बी6
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य रिज़र्व)	69,610.26	बी2+बी3+बी4+बी5+ई2
4	आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 पूंजी के रूप में अनुमत भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	0.00	बी7
5	सीईटी1 से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-	-	

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ-11 (भाग I / भाग II जो भी लागू हो)			
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व			
	संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)		
6	सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	-	
7	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	36,577.38	बी1
8	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
9	साख (संबद्ध कर देयता को घटा कर)	-	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

“डीएफ-13: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं वेबसाइट पर “विनियामक प्रकटन खंड>>वित्तीय वर्ष 2021-22(बासेल III)>>31 मार्च 2022” के अंतर्गत उपलब्ध हैं.”

तालिका डीएफ-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के निबंधन और शर्तें

“डीएफ 14. बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के लिए टर्म शीट वेबसाइट पर “विनियामक प्रकटन खंड>>वित्तीय वर्ष 2021-22 (बासेल III)>>31 मार्च 2022” के अंतर्गत उपलब्ध हैं.

तालिका डीएफ 16: इक्विटी - बैंकिंग बही स्थितियाँ

डीएफ - 16 गुणात्मक प्रकटीकरण	
1	<p>शेयरधारिता, जिस पर पूंजीगत अभिलाभ की अपेक्षा की जाती है और जिन्हें संबंधों और रणनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के तहत लिया जाता है, के बीच विभेदन</p>
	<p>निम्नलिखित में इक्विटी निवेश बैंकिंग बही में धारित हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम (जेवी) - कंपनियों के लाभ वितरण में भाग लेने के इरादे से इन्हें लंबे समय तक बनाए रखने का विचार है. इन निवेशों को एचटीएम एवं एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है. 2. सहयोगी संस्थाएं - इन निवेशों में अधिकांश निवेश पूर्ववर्ती विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) द्वारा अपने विकास बैंकिंग भूमिका को पूरा करने के लिए किए गए हैं. बैंक का विचार जब कभी मौका आने पर इन निवेशों को निर्निहित करने का है. इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

<p>2 बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओं के मूल्यांकन और लेखांकन को कवर करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा. इसमें प्रयोग में आ चुकी लेखांकन तकनीकों और मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण मान्यताओं और प्रथाओं के मूल्यांकन को प्रभावित करने के साथ-साथ इन प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं.</p>	<p>रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें अधिग्रहण लागत पर वहन किया जाता है. अस्थायी को छोड़कर, इक्विटी निवेश के मूल्य में किसी हास के लिए प्रावधान करना होता है. एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री पर कोई हानि होने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाना होता है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ होने पर उसे लाभ-हानी लेखे में दर्शाया जाता है तथा इसके बाद इसका आरक्षित पूंजी, कुल करों और सांविधिक आरक्षित निधियों में विनियोजन किया जाता है.</p> <p>निवेश नीति के अनुसार, बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत भाव वाले इक्विटी शेयरों के दैनिक आधार पर बाज़ार भाव दर्शाने होते हैं. वे इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान दर उपलब्ध नहीं है या जहां शेयरों के दर स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत नहीं किए गए हैं उनको ब्रेक-अप मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर विचार किए बिना) पर मूल्यांकित किया जाता है जिसका पता कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं) से लगाया जाता है. नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹ 1 लगाया जाता है.</p> <p>रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इस कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.</p>
--	---

गुणात्मक प्रकटन

बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश :

क्र. सं.	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश	
	क) निवेशों के तुलन पत्र में प्रकट मूल्य	923.36
	ख) निवेशों का उचित मूल्य	2,645.02
	चूंकि बैंक मानता है कि ऐसे शेयरों का सार्वजनिक रूप से उद्धृत मूल्य ही इन शेयरों का उचित मूल्य है, अतः दोनों मूल्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है.	
2	निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत राशियों सहित निवेशों के प्रकार और उनकी प्रकृति :	इक्विटी शेयर
	क. सार्वजनिक रूप से किए गए लेनदेन	0.02
	ख. निजी तौर पर धारित (असूचीबद्ध)	923.34
3	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री और परिसमापन से प्राप्त संचयी वसूली अभिलाभ (हानि)	0.62
4	कुल अप्राप्त अभिलाभ (हानि)*	शून्य
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन अभिलाभ (हानि)**	1,721.66
6	उपर्युक्त में से कोई राशि जो टियर 1 और या टियर 2 पूंजी में शामिल है.	शून्य
7	समुचित इक्विटी समूहों द्वारा समग्र निधियों और किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या नियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित पहले से लागू प्रावधानों के अधीन इक्विटी निवेश तंत्र के साथ साथ, बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप विभाजित पूंजीगत अपेक्षाएं.	शून्य

- * अप्राप्त अभिलाभ (हानि) तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं, लेकिन लाभ-हानि लेखे के माध्यम से नहीं.
- ** अप्राप्त अभिलाभ (हानि) न ही तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं और न ही लाभ-हानि लेखे के माध्यम से.

तालिका डीएफ़ 17: लीवरेज अनुपात - लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन की तुलना में लेखांकन आस्ति का तुलनात्मक सार

क्र. सं.	मद	(₹ करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	3,01,519.72
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संमस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजन से समेकित किया गया है, लेकिन विनियामकीय रूप से समेकन के क्षेत्र में नहीं आते हैं.	65.26
3	न्यासी आस्तियों के लिए समायोजन जिन्हें परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया गया है, लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन में शामिल नहीं किया गया है.	0.00
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	11,490.84
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समरूप प्रतिभूत उधार)	0.00
6	तुलन पत्र से बाहर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलन पत्र एक्सपोजर से बाहर की ऋण समतुल्य राशियों का रूपान्तरण)	45,278.61
7	अन्य समायोजन	10,065.91
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	3,48,288.51

डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	मद	(₹ करोड़ में)	
		समेकित	एकल
तुलन पत्र में एक्सपोजर			
1	तुलन पत्र में शामिल मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक सहित)	2,87,697.45	2,87,196.43
2	(बासेल III टियर I पूंजी को ध्यान में रखकर घटायी गई राशि)	(10,401.32)	(10,667.41)
3	तुलन पत्र में शामिल कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	2,77,296.13	276,529.02
डेरिवेटिव एक्सपोजर			
4	सभी डेरिवेटिव लेन-देन से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् निवल पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन)	2,77,296.13	276,529.02
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से सम्बद्ध पीएफई के लिए जोड़ी गई राशि	2,77,296.13	276,529.02
6	प्रदत्त डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए सकल राशि जहां परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटायी गई.	2,77,296.13	276,529.02
7	(डेरिवेटिव लेन-देन में की गई व्यवस्था नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य राशियों की कटौती)	2,77,296.13	276,529.02
8	(ग्राहक मंजूर व्यापार एक्सपोजर से संबन्धित सीपीसी लेग छूट)	0.00	0.00
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव से संबन्धित समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0.00	0.00
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए जोड़ी गई समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि)	0.00	0.00
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)	11,490.84	11,490.84
प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर			
12	बिक्री लेखांकन लेन-देन के लिए समायोजन के बाद निवल एसएफटी आस्तियां (बिना निवल राशि के)	14,202.00	14,202.00

13	(सकल एसएफटी आस्तियों से संबन्धित नकदी देयों और प्राप्य राशियों के लिए निवल राशियाँ)	0.00	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	20.93	20.93
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	0.00	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)	14,222.93	14,222.93
तुलन पत्र से अलग अन्य एक्सपोजर			
17	सकल आनुमानिक राशि में तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर	140,342.21	140,327.71
18	(ऋण समतुल्य राशियों में संपरिवर्तन के लिए समायोजन)	(95,063.60)	(95,063.60)
19	तुलन पत्र से अलग मर्दे (पंक्ति 17 से 18)	45,278.61	45,264.11
पूँजी और कुल एक्सपोजर			
20	टियर 1 पूँजी	26,176.06	25,786.73
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	348,288.51	347,506.90
लीवरेज अनुपात			
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	7.52%	7.42%

प्रकाशित वित्तीय विवरणों और लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर के अनुसार कुल समेकित आस्तियों के बीच समाधान

क्र. सं.	मद	(₹ करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	3,01,519.72
2	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत, अर्थात पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल	11,490.84

3	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समरूप प्रतिभूत उधार)	14,222.93
4	सांपार्श्विकों के लिए समायोजन तथा विनियामकीय समेकन परिसीमा से बाहर के लिए समायोजन	400.67
5	लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर)	2,75,405.28
